2009/00022

निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 48/2009 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये बालशंकर शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री पूरण मल जाट पुत्र श्री फूलचन्द जाट, निवासी कीरथपुरा, ग्राम पंचायत शुक्लावास, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
2. श्री रोहिताश जाट मालिक मैसर्स मां भगवती ट्रेडर्स मुंडरू रोड, खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 437.750 लीटर डीजल मय 2 ड्रम व 17.750 लीटर पेट्रोल मय एक जरीकेन 5 कोनिकल माप को राजसात करने बाबत।

उपस्थित:

1. पैरोकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 14-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.10.2009 को जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण के निर्देशानुसार ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू में अवैध रूप से डीजल व पेट्रोल का क्रय विक्रय की शिकायत प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ मैसर्स मां भगवती ट्रैडर्स की जाचं की गई। वक्त जांच मौके पर श्री पूरण मल पुत्र श्री फूलचन्द जाट उपस्थित मिला तथा बताया कि मां भगवती ट्रैडर्स का मालिक श्री रोहिताश जाट है तथा वह इस दुकान पर कार्य करता है। दुकान पर उपलब्ध डीजल पैट्रोल बेचने का कार्य श्री रोहिताश के द्वारा किया जाता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा यह कार्य किया जाता है। वक्त निरीक्षण श्री रोहिताश का कोटपूतली जाना अवगत कराया गया। मौके पर दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 2 ड्रमों में 440 लीटर डीजल व एक जरीकेन में 20 लीटर पेट्रोल पाया गया तथा कोनिकल माप 05 लीटर क्षमता के तीन, 02 लीटर क्षमता के एक एवं 01 लीटर क्षमता की एक कुल 05 कोनिकल माप मिली। मौके पर उपस्थित श्री बाबूलाल पुत्र श्री मोहरूराम यादव तथा श्री मदनलाल पुत्र श्री बजरंगलालि जांगिड ने रोहिताश जाट से 35 रूपये लीटर की दर से कई बार विभिन्न दिनांको में बिल से डीजल खरीदना बताया। यह बिल श्री श्याम फिलिंग स्टेशन, रींगस सीकर अधिकृत विक्रेता आई.ओ.सी. का जारी किया जाता है। मौके पर श्री रोहिताश उपस्थित नहीं हुआ तथा श्री पूरण मल जाट द्वारा इस बिक्री बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। दुकान मं जांच करने पर 4 बिल कुब, एक पेट्रोल, एक डीजल बिक्री रजिस्टर व एक खाता रजिस्टर तथा श्याम फिलिंग स्टेशन की बिल बुक पाई गई। जिससे बिना अनुज्ञापत्र क्रय विक्रय किया जाना सिद्ध होता है। उपरोक्त दोनो व्यक्तियों द्वारा राजस्थान सीना से बाहर हरियाणा स्थित सिद्धि विनायक सर्विस स्टेशन से सस्ती दर पर (राजस्थान से कम दर पर) पेट्रोल व डीजल लाकर मुनाफा कमाने हेतु अवैध बिक्री किया जाना पाया गया। मौके पर पाये गये विभिन्न दिनांक में विभिन्न व्यक्तियों के नाम से खरीदे गये डीजल के विक्रय पत्रों से स्पष्ट होता है। इस प्रकार

जिला कलक्टर
जयपुर

अप्रार्थीगण द्वारा बिना अनुज्ञापत्र डीजल व पेट्रोल का अवैध भण्डारण कर क्रय विक्रय किया गया है। जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञापत्र के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर पाये डीजल एवं पेट्रोल में से पृथक पृथक 750–750 मिली लीटर के तीन–तीन सैम्पल लिये गये तथा शेष 437.750 लीटर डीजल व 17.750 लीटर पेट्रोल मय 02 ड्रम, एक जरीकेन तथा 5 कोनिकल माप व अन्य बारदाना जब्त कर कब्जे सरकार लिया गया एवं सुरक्षा की दृष्टि से उक्त जब्तशुदा वस्तुओ को श्री रामकुमार यादव पुत्र श्री गोपीराम यादव निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू की सुपर्दगी में दिया गया। तथा प्रकरण में थाना गोविन्दगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट 314/2009 दिनांक 21.10.2009 दर्ज करवाई गई। अतः जब्तशुदा 437.750 लीटर डीजल व 17.750 लीटर पेट्रोल मय 02 ड्रम, एक जरीकेन तथा 5 कोनिकल माप व अन्य बारदाना को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं डीजल व पेट्रोल ज्वलनशील, उडनशील व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त पेट्रोल व डीजल ज्वलनशील, उडनशील व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 28.10.2009 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि जब्त पेट्रोल व डीजल को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री गोकुल नारायण अग्रवाल ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये अतः अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 19.04.2010 को एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा जवाब हेतु अवसर चाहा। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत पेशी पर अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दौराने निरीक्षण दुकान में 2 ड्रमों में 440 लीटर डीजल व एक जरीकेन में 20 लीटर पेट्रोल पाया गया तथा कोनिकल माप 05 लीटर क्षमता के तीन, 02 लीटर क्षमता के एक एवं 01 लीटर क्षमता की एक कुल 05 कोनिकल माप मिली। मौके पर उपस्थित श्री बाबूलाल पुत्र श्री मोहरूराम यादव तथा श्री मदनलाल पुत्र श्री बजरंगलाल जांगिड ने रोहिताश जाट से 35 रूपये लीटर की दर से कई बार विभिन्न दिनांको में बिल से डीजल खरीदना बताया। यह बिल श्री श्याम फिलिंग स्टेशन, रींगस सीकर अधिकृत विक्रेता आई.ओ.सी. का जारी किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस बिक्री बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। दुकान मं जांच करने पर 4 बिल बुक, एक पेट्रोल, एक डीजल बिक्री रजिस्टर व एक खाता रजिस्टर तथा श्याम फिलिंग स्टेशन की बिल बुक पाई गई। जिससे बिना अनुज्ञापत्र क्रय विक्रय किया जाना सिद्ध होता है। उपरोक्त दोनो व्यक्तियों द्वारा राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा स्थित सिद्धि विनायक सर्विस स्टेशन से सस्ती दर पर (राजस्थान से कम दर पर) पेट्रोल व डीजल लाकर मुनाफा कमाने हेतु अवैध बिक्री किया जाना पाया गया। मौके पर पाये गये विभिन्न दिनांक में विभिन्न व्यक्तियों के नाम से खरीदे गये डीजल के

जिला कलक्टर
जयपुर

विक्रय पत्रों से स्पष्ट होता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा बिना अनुज्ञापत्र डीजल व पेट्रोल का अवैध भण्डारण कर क्रय विक्रय किया गया है। जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञापत्र के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 440 लीटर डीजल एवं 20 लीटर पेट्रोल में से 750–750 मिली लीटर के तीन सैम्पल लिये गये तथा शेष 437.750 लीटर डीजल व 17.750 लीटर पेट्रोल मय 02 ड्रम, एक जरीकेन तथा 5 कोनिकल माप व अन्य बारदाना कब्जे राज लिया गया। अतः जब्तशुदा 437.750 लीटर डीजल व 17.750 लीटर पेट्रोल मय 02 ड्रम, एक जरीकेन तथा 5 कोनिकल माप व अन्य बारदाना को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश फरमावे।

4. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 21.10.2009 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

5. अप्रार्थी द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोलियम उत्पादो को क्रय विक्रय करने पर मां भगवती ट्रैडर्स, ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू स्थित दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 2 ड्रमों में 440 लीटर डीजल व एक जरीकेन में 20 लीटर पेट्रोल पाया गया तथा कोनिकल माप 05 लीटर क्षमता के तीन, 02 लीटर क्षमता के एक एवं 01 लीटर क्षमता की एक कुल 05 कोनिकल माप मिली। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कई बार विभिन्न दिनांको में बिल से डीजल खरीदना तथा बिल श्री श्याम फिलिंग स्टेशन, रींगस सीकर अधिकृत विक्रेता आई.ओ.सी. का जारी किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा इस बिक्री बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। दुकान की जांच करने पर 4 बिल कुब, एक पेट्रोल, एक डीजल बिक्री रजिस्टर व एक खाता रजिस्टर तथा श्याम फिलिंग स्टेशन की बिल बुक पाई गई। जिससे बिना अनुज्ञापत्र क्रय विक्रय किया जाना सिद्ध होता है। उपरोक्त दोनो व्यक्तियों द्वारा राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा स्थित सिद्धि विनायक सर्विस स्टेशन से सस्ती दर पर (राजस्थान से कम दर पर) पेट्रोल व डीजल लाकर मुनाफा कमाने हेतु अवैध बिक्री किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा बिना अनुज्ञापत्र डीजल व पेट्रोल का अवैध भण्डारण कर क्रय विक्रय किया गया है। जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञापत्र के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। फलस्वरूप जब्तशुदा 437.750 लीटर डीजल व 17.750 लीटर पेट्रोल मय 02 ड्रम, एक जरीकेन तथा 5 कोनिकल माप व अन्य बारदाना को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 437.750 लीटर डीजल व 17.750 लीटर पेट्रोल मय 02 ड्रम, एक जरीकेन तथा 5 क्रोनिकल माप व अन्य बारदाना को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त डीजल व पैट्रोल के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 28.10.2009 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय आज दिनांक 14-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलेक्टर
जयपुर